


कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय-आदेश

राजस्थान सिविल सेवा(पुनरीक्षित वेतनमान)नियम-2008 के नियम 19 के अनुसार प्रधानाचार्य/प्रधानाध्याक को राज्य सेवा में 10/20/30 वर्ष निरन्तर संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर आशवासित कैरियर प्रगति (I/II/III) / सातवें वेतनमान के अंतर्गत मैट्रिक्स लेवल संख्या निम्नानुसार स्वीकृत की जाती है:-

क्र. सं.	नाम व पदस्थापन स्थान (उ.मा.वि./रा.मा.वि) सर्व श्री/श्रीमती	जन्म तिथि	प्रथम नियुक्ति पर कार्यग्रहण तिथि व पद	10/20/30 वर्ष पूर्ण करने की तिथि	प्रथम/द्वितीय तृतीय ACP देय तिथि	एसीपी स्वीकृति पर देय वेतन-बैंड	ग्रेड पे/मैट्रिक्स लेवल
1	जयवन्ती सेनि, प्रधानाचार्य, कानाखेड़ी श्रीनगर जिला अजमेर	17-10-60	21-12-85 Sr.T.	20-12-15 30 Y	21-12-2015 III	15600-39100	6800
2	भागीरथ सिंह, प्रधानाचार्य बामनवास खण्डेला(सीकर)	01-10-62	01-07-86 Lect	01-09-06 20 Y 01-07-16 30 Y	01-09-06 II 01-07-16 III	9300-34800. II 15600-39100 III	4800 II 6800 III
3	रघुवीर सिंह बीईईओ नावां(नागौर)	27-06-61	08-09-95 Lect	07-09-15 20 Y	08-09-2015 II	15600-39100	6800

उपरोक्त अधिकारियों को वेतन निर्धारण नियमानुसार संबंधित नियंत्रण अधिकारी द्वारा किया जावेगा एवं संबंधित की सेवापुस्तिका में आवश्यक रूप से इसका इन्द्राज करेंगे ।



(नथमल डिडेल)
आईएस

निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर

दिनांक 07/01/2019

क्रमांक: शिविरा-मा/संस्था/ए-2-7/ACP/वो-2/2017-18

1. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)
2. संबंधित संस्था प्रधान
3. संबंधित अधिकारी
4. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय साईट पर अपलोड हेतु ।
5. निजी/रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर


कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

—:: कार्यालय आदेश::—

राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान-2008) के नियम 19 एवं पुनरीक्षित वेतनमान नियम, 2017 के नियम 14 व 15 के अनुसार प्रधानाचार्य/प्र0अ0 (मा0वि0) के राज्य सेवा में 10/20/30 वर्ष निरन्तर सेवा पूर्ण करने पर आशवासित कैरियर प्रगति (एसीपी) निम्नानुसार स्वीकृत की जाती है:-

क्र. सं.	नाम अधिकारी पद व पदस्थापन स्थान श्री/श्रीमती/सुश्री	जन्मतिथि	प्रथम नियुक्ति पर कार्यग्रहण तिथि	10/20/30 वर्ष पूर्ण करने की तिथि	प्रथम/द्वितीय/तृतीय एसीपी देय तिथि	एसीपी दिये जाने पर देय ग्रेड-पे/पे मैट्रिक लेवल
1	2	3	4	5	6	7
01	श्री मोतीलाल से.नि. प्रधानाचार्य राउमावि, फुलाद (पाली)	30.12.56	19.09.94 व्याख्याता	18.09.14 20 वर्ष	19.09.14 द्वितीय	15600-39100 6800/-
02	श्री राजेशकुमार व्यास प्रधानाचार्य राउमावि, डाबला (जैसलमेर)	30.04.65	22.03.97 व्याख्याता	21.03.17 20 वर्ष	22.03.17 द्वितीय	15600-39100 6800/-
03	श्री भंवरलाल विश्णोई, बी0ई0ई0ओ0, गुडामलानी(बाड़मेर)	01.03.60	08.02.97 व्याख्याता	07.02.17 20 वर्ष	08.02.17 द्वितीय	15600-39100 6800/-
04	श्री रघुवीरसिंह से.नि. प्रधानाचार्य, राआरमावि, समूची-कठूमर (अलवर)	01.01.58	07.09.95 एसडीआई	06.09.15 20 वर्ष	07.09.15 द्वितीय	15600-39100 6800/-
05	श्री रमेशचन्द शर्मा प्रधानाचार्य, राउमावि, नांगल बैरसी (दौसा)	15.06.62	14.08.95 व्याख्याता	13.08.15. 20 वर्ष	14.08.15 द्वितीय	15600-39100 6800/-

उक्त प्रधानाचार्यों को प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति पर 26 (ए) का लाभ नहीं दिये जाने पर ही एसीपी का लाभ देय होगा। एसीपी स्वीकृत किये जाने पर तीन प्रतिशत वेतन वृद्धि वर्तमान मूल वेतन पर देय होगी तथा ग्रेड-पे का अंतर दिया जायेगा। वेतन निर्धारण नियंत्रण अधिकारी द्वारा किया जायेगा।




(नथमल डिडेल)

आईएसएस

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर।

क्रमांक:शिविरा-मा/संस्था/ए-3-4/एसीपी/जय-जोध-पाली/2018-19/42 दिनांक: 07-01-2019
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- जिला शिक्षा अधिकारी, (माध्यमिक-मुख्यालय) / मुख्यालय शिक्षा अधिकारी, प.स.
- 2- संबंधित संस्था प्रधान/ संबंधित अधिकारी।
- 3- सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग।
- 4- रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक(कार्मिक),
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर।